(20)

क्रमांक 40
डायरी सं0 3534
[illegible] सं0 4-4
[illegible] 28/8/2018

कार्यालय जिलाधिकारी बांदा

पत्रांक-237(ए)/एल0ए0सी0- बांदा   दिनांक- 21 अगस्त, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06. 2016 एवं अधिसूचना संख्या-प्र0स087/एक-1/2010-5-1(43/2009-53) लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल, 2010 मे यह प्राविधान है कि उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम 1884(उ0प्र0 अधि0 संख्या-21 सन 1904) की धारा 21 के साथ पठित उ0प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम(उ0प्र0 अधिनियम 1 सन 1951) की धारा 321 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके व सरकारी अधिसूचना संख्या 258/12-1-16(1)/1973 दिनांक 07 मई 1981 का अतिक्रमण करके राज्यपाल उ0प्र0 उन सभी जिलो के अधीन गांव सभाओं / स्थानीय प्राधिकारियों में निहित धारा 117 की उपधारा 1 के खण्ड (एक)(दो) एवं (तीन) मे निर्दिष्ट सभी या किन्ही वस्तुओं को वापस लेने की शक्ति उक्त अधिनियम की धारा 117 [illegible] भाग-1 की परिशिष्ट 8 मे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं दिव्य प्रकाश गिरि जिलाधिकारी बांदा प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम लडाका पुरवा तहसील व जिला बांदा गाटा संख्या 3814 रकबा 0.525 हे0 व गाटा संख्या 3816 रकबा 0.100 हे0 कुल दो किता रकबा 0.625 हे0 मा0 कोशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के नाम से खारिज कर ग्राम सभा के श्रेणी-6(2) आकृषिक भूमि के रुप में पुन: पुर्नग्रहण करते हुये उपजिलाधिकारी बांदा की आख्या/संस्तुति पत्र संख्या 722/रा0का0 दिनांक 20.08.2018 के अनुक्रम में ग्राम लडाका पुरवा तहसील व जिला बांदा गाटा संख्या 3814 रकबा 0. 525 हे0 व गाटा संख्या 3816 रकबा 0.100 हे0 कुल दो किता रकबा 0.625, जिसकी मालियत 3125000/- (इक्तीस लाख पच्चीस हजार रु) मात्र है, को प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के नाम शासनादेश दिनांक 03.06.2016 एवं शासनादेश दिनांक 11.07.2018 में दिये गये प्राविधानों के कम में उक्त गांवसभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुर्नग्रहीत करता हू कि उक्त भूमि का प्रयोजन संबन्धित विभाग/ संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि संबन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्गहण स्वत: समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/ नियम के अन्तर्गत उर्पवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये संबन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रुप से बाध्य रहेगें। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को गांवसभा से पुर्नग्रहण करके नि:शुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

क0 सं0	जिला	तहसील /परगना	ग्राम	ग्रामसभा	खातासंख्या / भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा हे0 में	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहित की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बांदा	बांदा	लडाका पुरवा	लडाका पुरवा	खाता संख्या 01993/ श्रेणी6(2) आकृषिक भूमि	3814मि0 एवं 3816 मि0	0.525 हे0 व 0.100 हे0 कुल 02 किता रकबा 0.625 हे0	प्रधानमंत्री आवास योजन हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के प्रबन्धाधीन

21. 8. 18
(दिव्य प्रकाश गिरि)
जिलाधिकारी,बांदा

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ।
2. आवास आयुक्त,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अभियंत्रण अनुभाग लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, अनुभाग-12 लखनऊ।
4. अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद नि0ख0-17केशवपुरम,कल्याणपुर, कानपुर।
5. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार बांदा को प्रकरण पर प्रेषित आख्या दिनांक 20.08.2018 के कम मे उपरोक्तानुसार अभिलेखों मे अमल दरामद सुनिश्चित करने हेतु।
6. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामाग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश के आगामी गजट मे प्रकाशन हेतु।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)बांदा
21-8-18

Sri Vinit Kr Gautam A-E.